

पत्र संख्या-10/जि0 आ0-गू0-02/10, 2010 सा0 775/2010

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

बिमलेश कुमार झा,  
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,  
पटना/गया/मुजफ्फरपुर/दरभंगा/  
छपरा/भागलपुर/पूर्णिया/मुंगेर एवं सहरसा।

पटना, दिनांक :- 10 अगस्त, 2010

विषय:- प्रमंडलीय मुख्यालय स्थित जिला अतिथि गृहों के संचालन के लिए  
आउटसोर्सिंग हेतु निविदा आमंत्रण के संबंध में।

महाशय,

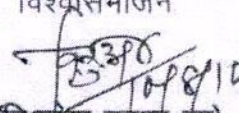
निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि प्रथम चरण में प्रमंडलीय मुख्यालय स्थित जिला अतिथि गृहों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से संचालित करवाने का निर्णय सम्यक विचारोपरान्त सरकार द्वारा लिया गया है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से इन जिला अतिथि गृहों के सूचारु रूप से संचालन हेतु निविदा निकाले जाने की कार्यवाई संबंधित जिला पदाधिकारियों द्वारा अलग-अलग की जायेगी।

उक्त निविदा के लिए आवश्यक शर्तें निम्नवत रखी जा सकती हैं :-

- (1) आंतरिक साफ-सफाई जिसके अंतर्गत कमरों एवं पूरे परिसर की सफाई शामिल होगी।
- (2) जिला अतिथि गृह के लॉन, बागीचा आदि की सफाई एवं रख-रखाव, बागीचा में फूल एवं घास आदि का रख-रखाव।
- (3) हाउस कीपिंग से संबंधित निम्नलिखित कार्य शामिल होंगे:-
  - (क) जिला अतिथि गृह में लगे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं विद्युतीय उपकरणों का रख-रखाव।
  - (ख) अतिथि गृह के फर्नीचर आदि को मरम्मत एवं रख-रखाव।
  - (ग) अतिथि गृह में ठहरे हुए अतिथियों के लिए प्रसाधन की वस्तुएँ यथा - साबुन, तेल, शैम्पू, तौलिया आदि की आपूर्ति।
  - (घ) बेडशीट, मच्छरदानी, पर्दा, तकिया, इत्यादि की आपूर्ति एवं इनकी सफाई/धुलाई।

- (4) निर्बाध विद्युत की व्यवस्था (जेनरेटर सहित)।
- (5) अतिथियों के लिए चाय, नास्ता एवं भोजन आदि की निर्धारित दर पर व्यवस्था करना एवं भोजन पकाने के लिए आवश्यक व्यवस्था करना।
- (6) उपरोक्त कार्यों के निष्पादनार्थ निविदा दो लिफाफा प्रणाली प्रक्रिया के अन्तर्गत निकाली जा सकती है। प्रथम लिफाफा में संस्था/व्यक्ति का वार्षिक टर्न औवर/स्वच्छता अंकित होगा। निविदादाता को किसी संस्थान/प्रतिष्ठान में कैटरिंग/हाउस किपिंग का न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव आवश्यक हो। दूसरे लिफाफा में निविदादाता को उपरोक्त सेवाएं देने के एवज में मासिक राशि Quote करना होगा।
- (7) अतिथि गृह में भोजन आदि चाय आदि से होने वाली आय संचालय संस्था को दी जा सकेंगी।
- (8) जिला प्रशासन की और से कैयर टेकर प्रतिनियुक्त किया जायेगा। जो संचालन व्यवस्था की निगरानी करेगा।
- (9) अतिथि गृह कमरों का आरक्षण पूर्वत जिला प्रशासन द्वारा किया जायेगा। किराये से प्राप्त राशि सरकारी खजानों में जमा की जायेगी। उपरोक्त शर्तें मॉडल स्वरूप हैं। इनमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन जिला पदाधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।

इस परिप्रेक्ष्य में यह भी अनुरोध है कि आउटसोर्सिंग की स्थिति में जिला अतिथि गृहों में पूर्व से कार्यरत कर्मियों का समाहरणालय स्थित किसी अन्य कार्यालय में कार्य लिया जाए एवं उक्त कार्यरत बलों को छोड़कर जिला अतिथि गृहों हेतु पूर्व से सृजित बलों को Surrender करने का प्रस्ताव भी सामान्य प्रशासन विभाग को भेजने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन  
  
(बिरेन्द्र कुमार झा)  
सरकार के उप सचिव